मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निविदा प्रपत्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के फोटोग्राफ तैयार कर जॉबकार्ड में लगाने एवं वितरण कार्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत प्रतापिया..................

https://mail.nic.in/uwc/webmail/attach/Tender Form Jobcard Photochaspa 2010-11 mgnregs.doc?sid=&mbox=INBOX&charset=escaped_unicode&uid=7978&number=4&filename=Tender Form Jobcard Photochaspa 2010-11 mgnregs.doc

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत परासिया

द्वितीय निविदा सूचना क. 3375 दिनांक 3/02/2012

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक परिवार को जॉबकार्ड जारी किए गए है । इस जॉबकार्ड में परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के फोटोग्राफ लगाए जाने के संबंध में इस कार्यालय से जारी निविदा सूचना क. 1616 दिनांक 11.01.2012 द्वारा निरस्त की जाती एवं इस हेतु पुनः संशोधित निविदा निम्नानुसार है ।

इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर फोटोग्राफ तैयार कर जाबकार्ड में लगाने एवं संबंधित परिवारों को वितरित करने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, से दिनांक 15.02.2012 तक निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र दिनांक 15.02.2012 को दोपहर 12.00 बजे तक रू 200/– नगद या बैंक ड्राफट के रूप में भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है । बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परासिया को देय तथा भारतीय स्टेट बैंक की परासिया शाखा के नाम से हो, भुगतान योग्य होना चाहिए । निविदा प्रपत्र रू. 100/– अतिरिक्त भुगतान कर डाक से भी मंगाए जा सकते हैं । निविदाएं डाक से देर से पहुंचने या ना प्राप्त होने के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा ।

पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र राशि............................(कुल जॉबकार्ड गुणित कोटेड राशि का 5 प्रतिशत संबंधित जनपद पंचायत के लिए) डिमाड ड्राफ्ट या एफडीआर के रूप में हो, के साथ इस कार्यालय में दिनांक 15.02.2012 को 2.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए । निविदाएं उसी दिन 4.00 बजे खोली जाएगी । वित्तीय आफर दिनांक 15.02.2012 को खोले जाएगें ।

अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में देखा जा सकता है तथा उसी के अनुरूप निविदाएं प्रस्तुत की जाये । अन्य संबंधित जानकारी www.zpchhindwara.nic.in पर देखी जा सकती है।

कार्यक्रम अधिकारी
जनपद पंचायत परासिया

D:\NREGS Work (E)\Later\Jobcard photochaspa 3-02-2012.doc

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम– मध्यप्रदेश के अंतर्गत फोटोग्राफ तैयार कर संबंधित जॉबकार्ड में लगाने एवं बांटने हेतु निविदा आमंत्रण

निविदादाताओं के मार्गदर्शन हेतु निर्देश

निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी / निर्देश निविदादाताओं की जानकारी हेतु दिए जाते हैं । निविदा इन्हीं निर्देशों के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत की जाय ।

1. निविदाएं केवल निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जाय ।
2. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से निविदा सूचना कमांक 3375 दिनांक 03.02.2012 में दर्शायी गई दिनांक तक कय किए जा सकते हैं ।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 200/– है जिसका भुगतान नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में किया जा सकता है । बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परासिया के देय एवं भारतीय स्टेट बैंक की परासिया शाखा पर भुगतान योग्य होना चाहिए ।
4. यदि निविदा प्रपत्र डाक से मंगाना है तो रू 100/– उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ भुगतान करना होगा ।
5. निर्धारित अमानत राशि (ईएमडी) बैक ड्राफ्ट अथवा टीडीआर के रूप में प्रस्तुत की जाय । बैंक ड्राफ्ट कंडिका 3 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप तैयार कराया जाय । टीडीआर'' मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत परासिया एकाउन्ट नं.................... ....(निविदादाता)'' के नाम होना चाहिए । बिना अमानत राशि के निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी ।
6. एक फर्म/ व्यक्ति द्वारा एक ही निविदा प्रस्तुत की जाए । ऐसी दो फर्म / संस्था जिनमें एक भी पार्टनर कामन है प्रथक प्रथक निविदांए प्रस्तुत नहीं कर सकेगा । यदि ऐसा करते हैं तो दोनो निविदाएं अमान्य कर दी जाएगी ।
7. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 90 दिन होगी । इस बीच निविदादता द्वारा आफर वापस लेने पर ईएमडी जप्त कर ली जाएगी तथा भविष्य में निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
8. निविदा प्रस्तुत करते समय संबंधित व्यक्ति/ संस्था को स्पष्ट रूप समझ लेना चाहिए कि इस विकास खंड के अंतर्गत स्थित सभी ग्रामों में जाकर उन्हें परिवार के सदस्यों के फोटोग्राफ लेने होंगे तथा जॉबकार्ड जो उन परिवारों के पास उपलब्ध उनमें यह फोटोग्राम लगाकर वितरित करना होगा । जिन व्यक्तियों / संस्थाओं के पास इस कार्य को निर्धारित समयावधि में करने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है तथा कार्य करने के इच्छुक है उन्हें ही निविदा में भाग लेना चाहिए । उपलब्ध संसाधनों से संबंधित दस्तावेज / प्रमाण उन्हें निविदा प्रपत्र कय करते समय प्रस्तुत करना होगा ।
9. निविदाएं निम्नानुसार प्रस्तुत की जायः–

   (1) लिफाफा — (अ) में ईएमडी

   (3) लिफाफा — (ब) वित्तीय आफर

   उपरोक्त सभी लिफाफे एक बडे लिफाफे के अंदर रखकर सीलबंद कर प्रस्तुत किए जाये जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत परासिया को संबोधित हो । लिफाफे पर भेजने वाले का नाम, पता तथा अंदर रखे लिफाफों का विवरण अंकित होना चाहिए । लिफाफे पर निविदा सूचना कमांक व दिनांक तथा फोटोग्राफ तैयार करने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा जाये ।

निविदा खोलने की प्रकिया

निविदाए निविदादाताओं की उपस्थिति में निविदा सूचना में दी गई तिथि पर खोली जाएगी । सर्वप्रथम लिफाफा "अ" खोला जाएगा । ईएमडी सही पाए जाने पर ही लिफाफा "ब" वित्तीय ऑफर खोला जाएगा ।

अमानत राशि की वापसी

जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी उनकी अमानत राशि एक सप्ताह में वापस कर दी जाएगी ।

निविदा की शर्तें

1. जिन निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जाएगी उसे स्वीकृति सूचना पत्र के दिनांक से 10 दिन के अनुबंधित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध करना होगा । ऐसा न करने पर अमानत राशि (ईएमडी) जप्त कर ली जायेगी । प्रतिभूति राशि एफडीआर के रूप में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत परासिया को देय हो के रूप में स्वीकार की जायगी । निविदादाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने के पश्चात् ईएमडी वापस कर दी जायगी । निविदादाता (एजेंसी) के अनुरोध पर ईएमडी प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित की जा सकती है ।
2. प्रतिभूति राशि समस्त कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात् ही वापस की जाएगी । एजेंसी द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने / संपादित न करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा एजेंसी भविष्य में निविदा देने हेतु अयोग्य मानी जाएगी ।
3. कार्य की समयावधि– एजेंसी द्वारा समस्त कार्य 31 मार्च 2012 दिनों तक पूर्ण करना होगा विलंब होने पर रू 5000/– प्रति सप्ताह की दर से अधिकमत अनुबंधित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर क्षतिपूर्ति देय होगी साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

कार्य का विवरणः–

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत इस जनपद के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण परिवारों, जिनका नाम बीपीएल सर्वे 2003 में है, को जाब कार्ड जारी किये गये है । चयनित एजेंसी को इन जाब कार्डस में अंकित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के पृथक–पृथक फोटोग्राफ लेकर उन्हें जाब कार्ड पर चिपकाना एवं संबंधित परिवार को जाब कार्ड वापस सौंपना होगा ।
2. परिवार के समस्त वयस्क सदस्य यदि एक समय पर उपलब्ध नहीं है तो एक से अधिक बार एक परिवार की फोटोग्राफ लेने पड़ सकते हैं । फोटोग्राफ का साईज इस प्रकार रखना होगा कि परिवार के समस्त सदस्यों के फोटोग्राफ जाब कार्ड में निर्धारित स्थान पर चिपकाये जा सकें ।
3. एजेन्सी का दायित्व होगा कि संबंधित परिवारों के उपरोक्तानुसार फोटोग्राफ सहित जाब कार्ड पर ग्राम पंचायत के सरपंच से हस्ताक्षर करवाकर परिवार के मुखिया को सौंपने के पश्चात उसकी पावती ग्राम पंचायत में जमा करावें ।
4. उपरोक्त कार्य से संबंधित अभिलेख तैयार कर एक प्रति ग्राम पंचायत तथा एक प्रति जनपद पंचायत में प्रस्तुत करनी होगी ।

जाब कार्ड की संख्याः—

इस जनपद के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके फोटोग्राफ उपरोक्तानुसार तैयार किए जाने है अनुमानित संख्या 30000 है । जिसमें कम या बढत हो सकती है । एजेन्सी को भुगतान वास्तविक संख्या के आधार पर होगा । अनुमानित संख्या में कमी या बढत होने के कारण एजेन्सी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी न किसी प्रकार का क्लेम मान्य होगा ।

वित्तीय आफर :—

वित्तीय आफर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के कर एंव व्यय सम्मिलित है ।

निविदा स्वीकृतिः—

बिना कोई कारण बताए निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा । इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

भुगतानः—

एजेंसी को भुगतान उपरोक्तानुसार समस्त कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर दिया जायेगा । किए गए कार्य के चलित भुगतान भी समय—समय पर किए जायेंगें ।

वाद का निपटारा :—

एजेंसी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद / वाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निराकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा जो अपना निर्णय 30 दिन में देंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा ।